न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 217/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भागीरथराम पुत्र नारायण राम जाति विश्नोई निवासी भाग भरे की बेरी, राणासर कल्ला हान निवास सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अब्दुलकलाम पुत्र वारस 2. अजीर पुत्र हैदर 3. अम्बु पुत्र हैदर 4. आसीयत पत्नी फेजु 5. नबीयत पत्नी हैदर 6. बरकब पुत्र हैदर 7. मनई पुत्र वारस 8. मन्ठार पुत्र हासम 9. मीठा पुत्र हासम 10. सफी पुत्र दोसु 11. सरादीन पुत्र हैदर 12. सोरढ पत्नी वारस 13. हाजी पुत्र दोसु जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा 14. दलाराम पुत्र किशनाराम 15. द्वारकाराम पुत्र किशनाराम 16. नागजीराम पुत्र किशनाराम जातियान रबारी निवासीयान सिंहानिया तहसील सेड़वा 17. नेमाराम पुत्र नारायनराम 18. भगाराम पुत्र नारायनराम जातियान विश्नोई निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 19. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीनी वकील –श्री मेहराराम सारण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 24/11/2025

प्रार्थी भागीरथराम पुत्र नारायण राम जाति विश्नोई निवासी भाग भरे की बेरी, राणासर कल्ला हाल निवास सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि " सरहद मोजा सिंहानिया, पटवार क्षेत्र–अरटी, भू अभिलेख क्षेत्र अरटी तहसील–सेडवा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा नंबर 584/31 रकबा 18.2594 हेक्टर का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम भागीरथ राम दर्ज कर रखा, जो रेकर्ड तज्वीज करते वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल घरलू बोल–चाल की भाषा में प्रार्थी का नाम भागीरथराम की जगह बालाराम दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थी का वास्तविक नाम भागीरथराम है. उक्त भूमि भागीरथराम की खरीदसुदा है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि से साबित है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से गलत नाम लिख देने से मैं प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवानें का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी भागीरथराम की जगह बालाराम लिख देने से प्रार्थी को हर जगह तरह–तरह की उलझने पैदा होती है। जिससे प्रार्थी के के.सी.सी कार्ड लेने, बैंक से ऋण लेनें, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से दुविधा पैदा होती है। जिससे मैं प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्ती करवानें का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रेकर्ड दुरूस्ती करनें से खाते में किसी प्रकार का किसी खातेदार का कोई हक प्रभावित नही होता है तथा नहीं राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसी सूरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करना न्याय संगत है। प्रार्थी के अन्य तमाम दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम भागीरथराम है। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमनें कभी रेकर्ड का पठन करवाया। अभी के.सी.सी करवाने गये व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि मेरे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है, जिससे मैं उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा पटवार क्षेत्र–अरटी भू–अभिलेख क्षेत्र–अरटी, तहसील सेडवा में प्राथी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा नंबर 584/315 रकबा 18.2594 हैक्टेयर आराजी में गलत नाम से की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर बालाराम की जगह भागीरथराम दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार सेडवा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/1732 दिनांक 18.08.2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2025/1130 दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर उपस्थित सहखातेदार व मौजिज लोगों ने बताया की मौजा सिहानिया के खसरा संख्या 584/315 में दर्ज खातेदार बालाराम पुल नारायणराम व पार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुमार भागीरथराम पुत्र नारायण राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। [illegible] की घरेलू परिस्थितियों के अनुसार घर पर बालाराम के नाम से पुकारते है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी भागीरथराम व**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...णराम दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी भागीरथराम व उनके भाईयों ने वर्ष 1993 में उक्त ...राजी भूमि जरिए रजिस्ट्री खरीदी गई थी। रजिस्ट्री के दौरान घरेलू बोलचाल का नाम बालाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पहचान दस्तावेज(आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, वोटर कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड) में प्रार्थी का नाम भागीरथराम पुत्र नारायण राम दर्ज है। उपस्थित मोतबरान ने बताया कि भागीरथराम पुत्र नारायणराम व बालाराम पुत्र नारायणराम दोनों एक ही व्यक्ति है, जिस संबंध में ग्राम पंचायत भागभरे की बेरी पंचायत समिति धोरीमन्ना द्वारा प्रार्थी के पक्ष में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। बालाराम पुत्र नारायणराम के नाम से उक्त खसरे में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः मौके पर उपस्थित सहखातेदार मोतबरान, ग्राम पंचायत भागभरे की बेरी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रार्थी के भाई भगाराम, नेमाराम पि. नारायणराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रार्थी स्वय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पहचान दस्तावेज(आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, वोटर कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड) में दर्ज प्रार्थी भागीरथराम पुत्र नारायणराम व मौजा सिंहानिया के खसरा नंबर 584/315 रकबा 18–2594 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार बालाराम पुत्र नारायणराम हि. 1/24 कौम विश्नोई दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। बालाराम पुत्र नारायणराम के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। फर्द मौका मौके पर उपस्थित के रूबरू मौके पर तैयार कर पढकर सुनाई गई। उपस्थित ने सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर, अंगुष्ठ निशान किए।''

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 217/2025 उनवान भागीरथराम बनाम अब्दुलकलाम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी भागीरथराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी भागभरे की बेरी, हाल निवास सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सिंहानिया, पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 584/315 रकबा 18–2594 हैक्टैयर किस्म बारानी प्रथम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बालाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर भागीरथ राम पुत्र नारायण राम करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri narayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 217/2025
उनवान भागीरथराम बनाम अब्दुलकलाम वगैरा

...देश दिए जाते है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ. /2025/1130 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(4)

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट अति–आवश्यक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा, जिला बाड़मेर

क्रमांक : कोर्ट / 2025 / 1732 दिनांक :– 18/08/2025

प्रेषिती :–तहसीलदार सेड़वा

विषयः–न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 217 / 2025 उनवान भागीरथराम बनाम अब्दुलकलाम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में नाम दुरूस्ती हेतु मौका / तथ्यात्मक रिपोर्ट मय साक्ष्य सबूत भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 217 / 2025 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान भागीरथराम बनाम अब्दुलकलाम वगैरा में अंकित तथ्यों अनुसार नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है।

अतः आपको कमिश्नर नियुक्त कर मूल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति इस पत्र के संलग्न कर, निर्देश है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित हल्का पटवारी व गिरदावर को पाबन्द कर, दिनांक 24/09/25.........प्रातः 10.30 बजे तक न्यायालय द्वारा वांछित मौका प्रतिवेदन/ जांच / तथ्यात्मक प्रत्युत्तर सही–सही स्पष्ट साक्ष्य सबूत सहित अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें, जिससे न्यायालय में लम्बित उक्त अनवान के प्रकरण का समय पर निस्तारण किया जा सके।

संलग्नः मूल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाड़मेर

दिनांकः—29.10.2025

...ांक / भू.अ. / 2025 / 1130

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 217 / 2025 अनवान भागीरथराम वगैरह बनाम अब्दुलकलाम अन्तर्गत RLR धारा 136 में नाम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 217 / 2025 के के क्रम में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 217 / 2025 अनवान भागीरथराम वगैरह बनाम अब्दुलकलाम अन्तर्गत RLR धारा 136 में नाम दुरस्ती के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक सेडवा द्वारा दिनांक 18.09. 2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कोर्ट

आज दिनांक 18/09/2025 को ग्राम पंचायत अरटी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर (केम्प) के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मे लंबित राजस्व आवेदन संख्या 27/2025 उनवान भागीरथराम बनाम अबुलकलाम वगैरह अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में नाम दुरस्ती की मौका / तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जारी आदेश क्रमांक /कोर्ट/2025/1732 दिनांक 18/08/2025 की पालना मे श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा के आदेश क्रमांक भू.अ/2025/836 दिनांक 19.08.2025 की पालना में मौजा सिहानिया के खेत खसरा नम्बर 584/315 रकबा 18.2594 हैक्टर के मौके पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित सहखातेदार व मौजिज लोगो बताया की मौजा सिहानिया के ख.नं. 584/315 मे दर्ज खातेदार बालाराम पुत्र नारायणराम व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार भागीरथराम पुत्र नारायणराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है प्रार्थी को घरेलू परिवार घर पर बालाराम के नाम से पुकारते है/जाना जाता है दोनो एक ही व्यक्ति है प्रार्थी भागीरथराम व उनके भाईयो ने वर्ष 1993 मे उक्त अराजी भूमि जरिये रजिस्ट्री खरीदी गई थी। रजिस्ट्री के दौरान घरेलू बोलचाल का नाम बालाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पहचान दस्तावेज (आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, वोटर कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) जॉब कार्ड) मे प्रार्थी का नाम भागीरथराम पुत्र नारायण राम दर्ज है। उपस्थित मौतबरानो ने बताया कि भागीरथराम पुत्र नारायणराम व बालाराम पुत्र नारायणराम दोनों एक ही व्यक्ति है जिस संबंध मे ग्राम पंचायत भागभरे की बेरी फर्म घोषित द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। बालाराम पुत्र नारायणराम के नाम से उक्त खसरे मे अन्य कोई व्यक्ति नही है।

अतः मौके पर उपस्थित सहखातेदार मौतबरान, ग्राम पंचायत भागभरे की बेरी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रार्थी के भाई भगाराम, नेमाराम पि. नारायण राम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पहचान दस्तावेज (आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, वोटर कार्ड (मतदाता पहचान पत्र), जॉब कार्ड) में दर्ज प्रार्थी भागीरथराम पुत्र नारायणराम व मौजा सिहानिया के ख.नं. 584/315 रकबा 18.2594 हैक्टर मे दर्ज खातेदार बालाराम पुत्र नारायणराम ... कोम बिश्नोई दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है बालाराम पुत्र नारायणराम के ... अन्य कोई व्यक्ति नहीं है

फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित के समक्ष मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित ने सही होना मानकर हस्ताक्षर अंगूठे किये गये।

18/09/2025

(लक्ष्मण कुमार)
पटवारी (भू.अ.) अरटी
तहसील सेड़वा

गवाह

भगाराम

नेमाराम

भागीरथराम
अजीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:30 IST
Reason: SelfAttested